झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/94/18–50 ,राँची/दिनांकः 03/07/2019

NEET (UG) -2019 परीक्षाफल आधारित संशोधित एवं अंतिम राज्य मेधा–सूची से एम.बी.बी.एस. (M.B.B.S.), बी.डी.एस. (B.D.S.) तथा आयुष स्नातक स्तरीय पाठयक्रमों (Ayush - UG Level Courses) में नामांकन के निमित्त प्रथम् साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित विस्तृत सूचना

पर्षद कार्यालय के विज्ञापन संख्या जे.सी.ई.सी.ई.बी. 94/18–39 दिनांक 24.06.2019 एवं विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/94/18–47 दिनांक–02.07.2019 के आलोक में NEET (UG)-2019 में शामिल अर्हरित (Qualified) उम्मीदवारों से दिनांक–26.06.2019 से दिनांक–03.07.2019 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर तैयार की जाने वाली संशोधित एवं अंतिम राज्य मेधा–सूची, पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in में Home page पर दिनांक 04.07.2019 को जारी किया जायेगा। उम्मीदवार अपना NEET (UG)- 2019 क्रमांक (Roll Number) प्रविष्ट कर, राज्य मेधा–सूची अधःभारित (Download) कर सकते हैं।

2. उक्त संशोधित एवं अंतिम राज्य मेधा–सूची से दिनांक 05.07.2019 को आयोजित किये जाने वाले प्रथम् साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को राज्य स्थित चिकित्सा (सरकारी), दन्त–चिकित्सा (सरकारी एवं गैर–सरकारी) एवं आयुष स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों (सरकारी एवं गैर–सरकारी) के प्रथम् वर्ष में नामांकन हेतु अनुशंसित किये जायेंगे। साक्षात्कार में Medical Council of India, Dental Council of India एवं आयुष मंत्रालय द्वारा क्रमशः एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0 एवं आयुष स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

3. साक्षात्कार, Computerized Multi Table Parallel Counselling के माध्यम से की जाएगी। संस्थानवार/पाठ्यक्रमवार/कोटिवार/कोटावार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी अधिकृत वेबसाईट पर "Live (Current) seat Matrix of Medical, Dental & Ayush-UG Level Courses" Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें।

4. साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज मूल रूप (Original) में तथा उनकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इस आधार पर संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का आबंटन किया जाएगा।

(क) दसवीं/माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र, **(ख)** इण्टरमीडिएट साईंस/10+2/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र **(ग)**

NEET (UG)- 2019 के आधार पर पर्षद द्वारा जारी की गई संशोधित एवं अंतिम राज्य मेधा–सूची की अधःभारित (Download) प्रति (घ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त {Deputy Commissioner} द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 – 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र सं0–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का0–4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, (ङ) झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–14/जा0नि0–03–13/2015/का0–1754 दिनांक–25.02.2019 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में झारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी (Circle Officer) या अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक–14/जा0नि0–03–13/2015/का0–1754 दिनांक–25.02.2019 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। (च) दिव्यांग अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्गत तथा चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण–पत्र (छ) पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की एक प्रति।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त (घ) एवं (ङ) में वर्णित प्रमाण–पत्र/पत्रों, सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा वांछित अद्यतन प्रपत्र में निर्गत नहीं है तो अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र/पत्रों तथा नये विहित प्रपत्र में ऑनलाईन स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का औपबंधिक आवंटन किया जायेगा।

5. इस विज्ञापन की उपरोक्त कण्डिका 4 में दर्ज वांछित मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में सीट आबंटन नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

6. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल–प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।

7. साक्षात्कार शुल्क :– सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 1000/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला/दिव्यांग अभ्यर्थियों को ₹ 500/– आवेदन एवं साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:–

क) बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति अधिकृत वेबसाईट पर Download कॉलम में उपलब्ध है जिसमें खाता सं० एवं अन्य जानकारी उपलब्ध है।

या

ख) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो "Controller of Examination, J.C.E.C.E.Board" के माध्यम से निर्गत हो तथा Ranchi में भुगतेय हो।

नोट (a):– साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जायेगा।

8. **आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।**

9. साक्षात्कार स्थल :– झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

10. साक्षात्कार, सामान्य मेधा–सूची (Common Merit List) मेधाक्रमानुसार आयोजित की जायेगी। अतः आरक्षित कोटि/कोटा यथा EWS/SC/ST/BC–I/BC-II/PH/Primitive Tribal Group, के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे सामान्य मेधाक्रमानुसार, निर्धारित साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों के साथ–साथ अपने आरक्षित कोटि/कोटा के लिए कर्णांकित संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे सामान्य मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र अवश्य लावें।

11. नामांकन हेतु अनुशंसा के लिए सफल अभ्यर्थियों के पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। **किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।**

साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी :–

11.2: As per State CML Rank (सामान्य मेधाक्रमानुसार)					
State CML Rank Range		Counselling Date & Time	State CML Rank Range		Counselling Date & Time
From	To		From	To	
1	600	05.07.2019/09:30 AM	601	2781	05.07.2019/ 01:00 PM

12. दिव्यांगो तथा आदिम जन–जाति समूह (Primitive Tribal Group) के लिये आरक्षित सीटों का आवंटन सामान्य मेधा कमानुसार आयोजित साक्षात्कार के दौरान ही किया जायेगा।

13. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः सभी अभ्यर्थियों को संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट आबंटन की गारंटी नहीं है।

14. साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

15. जिन अभ्यर्थियों के क्रमांक उपरोक्त कंडिका 11 में अंकित संशोधित एवं अंतिम राज्य मेधा–सूची के अंतर्गत मेधाक्रम–अंतराल में शामिल हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि वे इस विज्ञप्ति के माध्यम से ही दिये गये सूचना के आधार पर ही निर्धारित साक्षात्कार तिथि एवं समय पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हों अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

16. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान ही सभी वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों के आलोक में ही उन्हें सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

17. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

18. साक्षात्कार से संबंधित अन्य जानकारी हेतु पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in एवं/या दूरभाष सं॰ 6264473891/6264473893 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

Sd/- 03/07/19

(दिलीप कुमार झा, भा.प्र.से.)
परीक्षा नियंत्रक